बिहार सरकार

अभियन्ता प्रमुख कार्यालय

लघु जल संसाधन विभाग,

जल भवन, तृतीय तल्ला राईडिंग रोड, शेखपुरा, पटना ।

E-mail Id-engg-chf-bih@gov.in

-::आदेश ::-

का0आ0-प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(क0अ0)-06/2025 - 118 /पटना, दिनांक- 01.03.2025

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस0एल0पी0(सी0) सं0-7257/2023 शशि भूषण प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक-04.10.2024 को पारित न्याय-निर्णय के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-21 दिनांक-01.01.2025 द्वारा विज्ञापन सं0-01/2019 के अन्तर्गत कनीय अभियंता(यॉंत्रिक) के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु लघु जल संसाधन विभाग को प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभिन्न अवधियों में अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं संगत प्रमाण-पत्रों का सत्यापन किया गया । प्रमाण-पत्रों के सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों जिनके द्वारा वांछित कागजात उपलब्ध कराया गया, उनकी नियुक्ति अभियन्ता प्रमुख कार्यालय, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आदेश सं0-35 दिनांक-31.01.2025 द्वारा शर्त्तों के अधीन कनीय अभियन्ता(यॉंत्रिक) के पद पर परिवीक्षा पर नियुक्ति की गयी है ।

2. जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-793 दिनांक-25.02.2025 के आलोक में राज्याधीन विकास योजनाओं के ससमय क्रियान्वयन एवं उक्त योजनाओं के सतत् अनुश्रवण को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्यहित में अभियन्ता प्रमुख कार्यालय, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आदेश सं0-35 दिनांक-31.01.2025 द्वारा परिवीक्षा पर नवनियुक्त निम्नांकित 07(सात) कनीय अभियन्ताओं(यॉंत्रिक) की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर अगले आदेश तक नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को प्रदान की जाती है-

क्र0 सं0	नवनियुक्त कनीय अभियन्ता का नाम /गृह जिला	पिता/पति का नाम/ स्थायी पता	समेकित मेघा क्रमांक/पंजीयन सं0	जन्म तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	सुश्री/श्रीमती मधु कुमारी/भागलपुर	श्री नरेन्द्र प्रसाद मंडल/ ग्राम-एकचारी,पोस्ट-एकचारी,थाना-कहलगॉंव, जिला-भागलपुर,बिहार 813204	1139/ BR00150010066913	05.03.1996	
2	सुश्री/श्रीमती प्रियंका कुमारी/शेखपुरा	श्री विनय कुमार/ ग्राम-कोयला,पोस्ट-भदौसी, थाना-बाउघाट,जिला-शेखपुरा, बिहार 811107	1147/ BR00150010102724	20.11.1997	
3	सुश्री/श्रीमती प्रियंका कुमारी/मुंगेर	श्री सुशील कुमार दास/ ग्राम-मुंगरौड़ा,पोस्ट-जमालपुर,थाना-ईस्ट कॉलोनी,जिला-मुंगेर, बिहार 811214	1205/ BR00150010015843	05.03.1998	

e:\official document 13.11.2024\thakur jee file\je@2024\je posting folder\je posting order mech27.02.2025 udhd.docx

4	सुश्री/श्रीमती अंजली कुमारी/मुंगेर	श्री सुशील कुमार दास/ ग्राम-मुंगरौड़ा,पोस्ट-जमालपुर,थाना-ईस्ट कॉलोनी,जिला-मुंगेर, बिहार 811214	1209/ BR00150010015974	20.01.2000	
5	श्री आलोक प्रखर/ भागलपुर	श्री प्रकाश सिंह/ ग्राम-तेतरिया, पोस्ट-चकनारायणपुर,थाना-सजौर,जिला-भागलपुर, 812006	1279/ BR00150010015297	13.07.1996	
6	सुश्री/श्रीमती सोनी कुमारी/पूर्वी चम्पारण	श्री लालबाबु चौधरी/ ग्राम-तुरकौलिया बाजार, पोस्ट+थाना-तुरकौलिय, जिला-पूर्वी चम्पारण, बिहार 845437	1300/ BR00150010052170	09.07.1992	
7	श्री सोनू कुमार/ रोहतास	श्री जगदीश राम/ ग्राम-कल्याणपुर,पोस्ट-बनजारी, थाना-रोहतास, जिला-रोहतास, बिहार 821303	1303/ BR00150010102558	05.01.1998	

3. नवनियुक्त कनीय अभियन्ता(यॉँत्रिक) को आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रतिनियुक्त विभाग में योगदान देना अनिवार्य होगा ।

4. संबंधित विभाग नवनियुक्त कनीय अभियन्ता(यॉँत्रिक) के योगदान के समय शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्राप्त करेंगे एवं मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान कर संतुष्ट हो लेगें । साथ ही स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति का संधारण कर लेगें ।

5. नवनियुक्त वैसे कनीय अभियन्ता(यॉँत्रिक), जो वर्तमान में किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हें योगदान के समय विरमण आदेश/त्याग पत्र स्वीकृति आदेश समर्पित करना आवश्यक होगा अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।

6. जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-171 दिनांक-14.01.2025 के आलोक में बिहार सरकार के अन्तर्गत संविदा नियोजित कनीय अभियन्ता नियमित नियुक्ति के पश्चात् पदस्थापन के उपरान्त संविदा नियोजन से त्याग-पत्र समर्पित करने के अगले दिन ही प्रतिनियुक्त विभाग में योगदान करेंगे ।

7. नवनियुक्त कनीय अभियन्ता(यॉँत्रिक) का नियुक्ति-पत्र राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु ई-गजट कोषांग से अनुरोध किया गया है । कार्यालय प्रधान/योगदान स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी से अनुरोध होगा कि वे राजपत्र की प्रति से नियुक्ति आदेश की सत्यता की जाँच कर लेंगे । साथ ही नियुक्ति आदेश की सत्यता की जाँच विभागीय वेबसाईट से भी कर लेंगे ।

8. प्रतिनियुक्त कनीय अभियन्ताओं के वेतनादि का भुगतान संबंधित विभाग, जहाँ वे प्रतिनियुक्त होंगे, के द्वारा किया जायेगा ।

9. प्रतिनियुक्त कनीय अभियन्ताओं के विरूद्ध प्रशासनिक कार्रवाई संबंधित विभाग, जहाँ वे प्रतिनियुक्त होंगे, के स्तर से की जा सकेगी परन्तु यदि अनुशासनिक कार्यवाही का मामला बनता है तो उनके विरूद्ध आरोप-पत्र गठित कर पैतृक विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।

10. संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा प्रथम वेतन विपत्र के साथ नियुक्ति आदेश की अभिप्रमाणित प्रति कोषागार में भेजी जायेगी, जिससे नियुक्ति पदाधिकारी के हस्ताक्षर का मिलान कोषागार पदाधिकारी द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये नियुक्ति आदेश से कर लेंगे ।

11. संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा नवनियुक्त कनीय अभियन्ताओं का नई अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत स्थायी लेखा संख्या(PRAN No.) अवश्य रूप से खोल लिया जायेगा ।

12. नवनियुक्त कनीय अभियन्ता(यॉत्रिक) को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

13. योगदान के समय दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

14. नवनियुक्त कनीय अभियन्ता(यॉत्रिक) को प्रतिनियुक्त विभाग में योगदान करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

15. प्रतिनियुक्त विभाग में योगदान की तिथि से परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात् सेवा संतोषप्रद रहने पर नियमानुसार नवनियुक्त कनीय अभियन्ता(यॉत्रिक) की सेवा सम्पुष्ट की जायेगी ।

16. प्रतिनियुक्त विभाग योगदान करने वाले नवनियुक्त कनीय अभियन्ता(यॉत्रिक) की सूचना अभियन्ता प्रमुख कार्यालय एवं लघु जल संसाधन विभाग को अविलम्ब उपलब्ध करायेंगे ।

17. सभी नवनियुक्त कनीय अभियन्ता(यॉत्रिक) द्वारा राज्य सरकार, लघु जल संसाधन विभाग एवं नगर विकास एवं आवास विभाग से समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन किया जायेगा ।

18. संबंधित कार्यालय प्रधान/योगदान स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी को आदेश में टंकण त्रुटि परिलक्षित होती है तो इससे अविलम्ब अभियन्ता प्रमुख कार्यालय एवं लघु जल संसाधन विभाग को अवगत करायेंगे ।

19. यदि भविष्य में आदेश में कोई भूल अथवा टंकण त्रुटि आदि परिलक्षित होती है तो इसे तद्नुसार संशोधित कर दिया जायेगा ।

01/3/2025

(सुनील कुमार)
अभियन्ता प्रमुख,
लघु जल संसाधन विभाग ।

e:\official document 13.11.2024\thakur jee file\je@2024\je posting folder\je posting order mech27.02.2025 udhd.docx

ज्ञापांक-प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(क0अ0)-06/2025 - 118 /पटना, दिनांक- 01.03.2025

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

01/3/2025

अभियन्ता प्रमुख ।

ज्ञापांक-प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(क0अ0)-06/2025 - 118 /पटना, दिनांक- 01.03.2025

ई-मेल

प्रतिलिपि- अवर सचिव, अभियंता प्रमुख कार्यालय, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी सहायक अभियंता/संबंधित सभी नवनियुक्त कनीय अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

01/3/2025

अभियन्ता प्रमुख ।

ज्ञापांक-प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(क0अ0)-06/2025 - 118 /पटना, दिनांक- 01.03.2025

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

01/3/2025

अभियन्ता प्रमुख ।

e:\official document 13.11.2024\thakur jee file\je@2024\je posting folder\je posting order mech27.02.2025 udhd.docx